न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र, आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. :02/2016
जीसीएमएस : 2016/00735

खानूराम बनाम टोपनराम आदि
अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–
1. श्री रणजीत सिंह सोनी, अधिवक्ता वादी (अप्रार्थी)
2. श्री दिनेश कुमार जोशी, अधिवक्ता प्रतिवादगण (प्रार्थी)

–: निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10,11 एवं 151 सीपीसी :–

दिनांक : 14.10.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है –

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में आज की तारीख पेशी मुकर्रर है वर्णित प्रकरण से संबंधित मामला पूर्व में श्रीमान की अदालत में मामराज बनाम खानूराम के नाम से वर्ष 2008 में निर्णित हुआ था तत्पश्चात राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के यहां मामला विचारित रहा व बाद में राजस्व मण्डल अजमेर से भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकरण निर्णित हुआ। वर्तमान में प्रार्थीगण ने बअनवान मामराज आदि बनाम खानूराम आदि नाम से श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद दायर कर रखा है जिसमें ताफैसला स्थगन माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी खानूराम के उपरोक्त वाद से पूर्व जारी प्रार्थीगण के हक में कर रखा है जिसकी आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.09.16 मुकर्र है इस प्रकार प्रार्थीगण एवं शीर्षक में अंकित प्रार्थी खानूराम के प्रकरण की विषय वस्तु, विवादग्रस्त विवादक एक है प्रार्थीगण का वाद पूर्ववर्ती वाद है इस कारण प्रार्थी खानूराम के उपरोक्त वर्णित वाद को रोका जाना उचित एवं न्यायसंगत होगा इससे वादों की बहुलता एवं मामले के न्यायनिर्णन में जटिलता से बचा जा सकेगा जो कि न्यायोचित एवं प्रार्थीगण के न्यायिक हितार्थ होगा। अतः उपरोक्त अनवान के प्रकरण में कार्यवाही को रोका जावे एवं न्यायिक सिद्धातों के तहत पूवर्तिवाद के विचारण के संदर्भ में कार्यवाही जैरकार की जावे जो कि न्यायोचित होगा।
2. वादी जवाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदन पत्र बेबुनियाद है व बिना किसी आधार के पेश किया है। कोई भी दस्तावेज व फैसला व अदालत की कार्यवाही का सबूत पेश नहीं किया है। इसलिए खारीज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी ने अभी तक जवाव दावा पेशा नहीं किया है। आदेश 8 नियम 1 सीपीसी में 90 दिन में जवाव प्रस्तुत करना आवश्यक है, इसलिए आवेदन खारीज करके प्रतिवादी का जवाव बन्द किया जावे। अतः आवेदन पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया ।
3. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में कार्यवाही को रोका जावे एवं न्यायिक सिद्धातों के तहत पूर्ववर्ती वाद के विचारण के संदर्भ में कार्यवाही जैरकार की जावे जो कि न्यायोचित होगा। वादी(अप्रार्थी) ने अपनी बहस में कथन किया कि आदेश 8 नियम 1 के तहत प्रतिवादी का जवाब जवाव प्रस्तुत करना अवश्यक इसलिए आवेदन खारिज करके प्रतिवादी का जवाब वंद किया जावे तथा अतः प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाकर आवेदन खारिज किया जावे।
4. बहस पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के प्रतिवादी द्वारा पूर्व में एक दावा न्यायालय में उनवान मामराज आदि बनाम खानूराम आदि अंतर्गत धारा 53–183 आरटीएक्ट का प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:18:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

द्वारा दिनांक 11.01.2021 को निर्णय पारित कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी हैं। चूंकि उक्त प्रकरण एवं इस प्रकरण में समान पक्षकार एवं विवादित भूमि एकसमान हैं। धारा 11 सीपीसी के प्रावधान अनुसार "कोई भी न्यायालय किसी ऐसी वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच, के 'ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसी न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा हैं, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका हैं। "पूर्ववर्त्ती वाद" पद ऐसे वाद का द्योतक है जो प्रश्नगत वाद के पूर्व ही विनिश्चित किया जा चुका है चाहे वह उससे पूर्व संस्थित किया गया हो या नहीं।" अतः धारा 11 सीपीसी में अंकित सिद्धांत इस प्रकरण पर लागू होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं।

—: आदेश :—

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी(प्रतिवादीगण) का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 10, 11 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादपत्र वादी मौजूदा सूरत पर खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 14.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:18:15 IST
Reason: SelfAttested